शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय हरियाणा
DIRECTORATE OF URBAN LOCAL BODIES HARYANA

बे सं. 11-14, सेक्टर 4, पंचकूला, हरियाणा
Bay No. 11-14, Sector 4, Panchkula, Haryana

Tel.: +91 172 2570020 ; Fax: +91 172 2570021
website: www.ulbhry.gov.in ; email: dulbhry@hry.nic.in

सेवा में

1. सभी आयुक्त, नगर निगम,
   हरियाणा राज्य।
2. कार्यकारी अधिकारी / सचिव,
   सभी नगर परिषदें / नगर पालिकाऐं,
   हरियाणा राज्य।

यादी क्रमांकः– 1एई / 2018 / 57157 – 236
दिनांकः– 7/6/18

विषय :– हरियाणा विवाह अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2008 के कियान्वयन हेतु।

....

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

2. विषयाधीन मामले में आपको अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग के पत्र दिनांक 01.12.2016 की प्रति प्रेषित करते हुये अनुरोध / निर्देशित किया जाता है कि विवाह पंजीकरण हेतु इन आदेशों के अनुलग्नक–I के बिन्दु 9 में वर्णित दस्तावेजों के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज की अपने स्तर पर मांग ना की जाये, जिससे की लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके अतिरिक्त ये दस्तावेज नोटरी से सत्यापित ना करवाये जाये। सरकार की उक्त हिदायतों की पालना पूर्णतः की जाये।

Kuss
अधीक्षक(निर्वाचन)
कृतेः महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा,पंचकुला।

पृ0 क्रमांक :– 1एई / 2018 / 57237 **दिनांक :–** 7/6/18

उपरोक्त की एक प्रति श्रीमती रितू, सिस्टम ऐनालिस्ट, आई.टी.सैल, मुख्यालय को विवाह पंजीकरण वैब पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित की जाती है।

Kuss
अधीक्षक(निर्वाचन)
कृतेः महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय,
हरियाणा,पंचकुला।

DIRECTORATE OF U
URBAN LOCAL BODIES
HARYANA, PANCHKULA
14 MAY 2018
Rec. No. DKB-30095
Supdt.

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग ।

सेवा में,

महानिदेशक,
शहरी निकाय, हरियाणा,
चण्डीगढ़

क्रमांक 10/64/2016–2एच.जी.–4
दिनांक 08–05–2018

विषयः– हरियाणा विवाह अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2008 के कियान्वयन हेतु ।

******

उपरोक्त विषय के संदर्भ में ।

2. आपको सूचित किया जाता है कि श्री अश्विनी अग्रवाल, निवासी कालका, जिला पंचकूला द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत यह कहते हुए अपील संख्या 5912/2017 सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के सेक्शन 19(3) के अर्न्तगत राज्य सूचना आयोग में दायर कर दी गई कि उसे वांछित सूचना नही दी गई और उसे व उस जैसे अन्य लोगों को विवाह पंजीकरण हेतु अधिकारियों द्वारा बिना वजह के परेशान किया जा रहा है ।

3. इस अपील पर मुख्य सूचना आयुक्त की बैंच द्वारा दिनांक 01–03–2018 को सुनवाई की गई । सुनवाई के दौरान प्रार्थी श्री अश्विनी अग्रवाल ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा विज्ञापनों के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अब व्यक्तियों को किसी कार्य के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज स्वतः द्वारा सत्यापित किए हुए मान्य माने जाएगें जबकि हरियाणा सरकार के कार्यालयों द्वारा विवाह पंजीकरण हेतु जिन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाता है उन्हें नोटरी से सत्यापित करवाया जाता है जिससे बिना वजह परेशानी व अतिरिक्त रूपये खर्च करने पड़ते है ।

4. इस सम्बन्ध में हरियाणा सरकार, गृह विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 01–12–2016 की प्रति मुख्य सूचना आयुक्त को प्रस्तुत की गई थी (प्रति संलग्न), जिसके अवलोकन उपरान्त माननीय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा यह आदेश दिए गए कि इन आदेशों के अनुलग्नक–1 के बिन्दु 9 में जिन दस्तावेजों की आवश्कता है, उसमें यह वर्णन नही किया गया है कि ये दस्तावेज नोटरी से सत्यापित होने चाहिए, फिर विवाह पंजीकरण अधिकारी ऐसे दस्तावेजों की मांग क्यों करते है? जब उन्हें बताया गया कि विवाह

– निरन्तर –

पंजीकरण का कार्य शहरी निकाय, हरियाणा द्वारा create पोर्टल के माध्यम से उनके विभाग द्वारा ही कियान्वयन किया जा रहा है तो उन्होंनें यह भी आदेश दिए कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को निर्देश जारी किए जाए कि गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों की अक्षरशः पालना की जाए । इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा जारी हिदायत कमांक 62/09/2010–6जी.एस.–1, दिनांक 22–08–2016 को भी मध्यनजर रखते हुए अपने स्तर पर किसी अन्य दस्तावेज/दस्तावेजों को नोटरी से सत्यापित करवाने की शर्त न थोपी जाए ।

5. अतः आपसे अनुरोध है कि आपके अधीन कार्यरत विवाह पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाए कि विवाह पंजीकरण हेतु हरियाणा सरकार, गृह विभाग द्वारा जारी दिनांक 01–12–2016 के आदेशों में वर्णित दस्तावेजों से अतिरिक्त किसी ऐसे अन्य दस्तावेज की अपने स्तर पर मांग न की जाए जिससे कि लोगों को सुविधा के स्थान पर असुविधा का सामना करना पडे । इसके लिए विवाह पंजीकरण हेतु उपलब्ध वर्तमान पोर्टल में यदि आवश्कता हो तो उसे तदानुसार परिवर्तन कर लिया जाए ताकि माननीय मुख्य सूचना आयुक्त, हरियाणा के आदेशों की पालना की जा सके ।

अधीक्षक, गृह–4,
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग ।

पृष्ठाकन कमांक 10/64/2016–2एच.जी.–4 दिनांक 08–05–2018

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है :–

1. माननीय राज्य सूचना आयोग, हरियाणा को उनके पत्र संख्या 5669/SCIC/2018/3-1A, दिनांक 06–04–2018 के संदर्भ में ।
2. श्री अश्विनी अग्रवाल, निवासी एच.आई.जी.–112, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, कालका, जिला पंचकूला (हरियाणा) ।

अधीक्षक, गृह–4,
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT
HOME DEPARTMENT
ORDER

No. 10/61/2013-2HG-IV   Dated the 1st December, 2016

The Government of Haryana hereby authorize the Common Service Centres or e-Disha Centres established in the Haryana State for carrying out the process Registration of Marriages in Haryana State under the Haryana Compulsory Registration of Marriages Act, 2008 and the Haryana Compulsory Registration of Marriages Rules, 2008, and these instructions will come in force w.e.f. 31.1.2017. (copy enclosed herewith). These instructions and forms would be also made available on Home Department web site www.homeharyana.gov.in.

(Nitin Kumar Yadav)
Secretary to Government, Haryana, Home Department-cum-Chief Registrar Marriages.

No. 10/61/2013-2HG-IV   Dated the 1st December, 2016

A copy of the order is forwarded to the following for information and takind necessary action:-

1. All the Deputy Commission-cum-Additional Chief Registrars in Haryana.
2. All the District Registrars of Marriages in Haryana.
3. All the Registrars of Marriages in Haryana.
4. M.D. Hartron, SCO No. 111-113, Sector-17B, Chandigarh.
5. Principal Secretary to govt. Haryana, Electronics & Information Technology Department.

Superintendent, Home-IV
For Secretary to Government, Haryana, Home Department-cum-Chief Registrar Marriages